

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिलाभिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 79 / 2015

संस्थित दिनांक-20 / 02 / 2015

फाइलिंग नंबर-230303001442015

महेश पुत्र भारत सिंह आयु 29 साल
जाति गुर्जर निवासी ग्राम डांग हाल
इण्डियन पेट्रोल पंप के सामने भिण्ड रोड
गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी / आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवानदास बघेल अपर लोक अभियोजक।

अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
प्रकरण क्रमांक-236 / 2010 में निर्णय व दण्डाज्ञा दि0-20 / 01 / 15
से उत्पन्न दांडिक अपील।

-:- निर्णय -:-(आज दिनांक **26 अक्टूबर 2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी महेश की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद, श्री एस0के0 तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 236 / 2010 निर्णय दिनांक-20 / 01 / 2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-08 / 03 / 2010 को जे0आर0 जुमनानी थाना प्रभारी मौ को शाम 04:30 बजे बस स्टेण्ड मौ पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक लडका बेहट रोड धर्मकांटा के पास अवैध शस्त्र लिए वारदात करने की फिराक में खड़ा है, सूचना की तस्दीख हेतु बस स्टेण्ड से ही गवाह अकबर एवं विस्सू तोमर को साथ लेकर धर्मकांटा के पास पहुंचा तो एक लडका अर्थात् आरोपी खड़ा दिखा जैसे ही पुलिस वाहन रुका तो वह लडका धर्मकांटा के पास सरसों के खेत की तरफ भागने लगा, जिसे हमराह आरक्षक शिवनारायण, चालक सतीश शर्मा तथा जनता के गवाह ने भगकर पकड़ लिया तलाशी ली तो उसके पेंट की कमर में बायें तरफ एक कट्टा 315 बोर का खुर्सा मिला

जिसमें एक जिंदा कारतूस लगा था, तथा पेंट की दाहिनी तरफ की जेब में एक जिंदा कारतूस मिला, पकड़े गए व्यक्ति अर्थात् आरोपी से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम महेश पुत्र भारतसिंह गुर्जर उम्र 24 साल निवासी ग्राम डांग हाल इंडियन पेट्रोल पंप के सामने भिण्ड रोड गोहद चौराहा का होना बताया तथा उसने उक्त कट्टा कारतूस का कोई वैध लाइसेंस ना होना बताया। आरोपी से कट्टा व कारतूस मौके पर विधिवत जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी0-01 बनाया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-02 बनाकर उसे थाना मौ लाए।

3. उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना मौ में अपराध क्र0-18/2010 धारा-25, 27 आयुध अधिनियम का कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-04 पंजीबद्ध की गयी। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये व जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूसों का परीक्षण कराया गया तथा जिला दण्डाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/-रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलार्थी ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डाज्ञा विधि विधान के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है। अभियोजन साक्षी अकबर खां और विस्सू तोमर जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी एवं पंचसाक्षी है उन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और वे पक्ष विरोधी रहे हैं तथा घटना के समय मौजूद बताए गए पुलिस साक्षियों एवं विवेचक की साक्ष्य में भी विरोधाभाष है जिसकी ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कतई ध्यान नहीं दिया है तथा आरोपी के पिता द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड को झूठा फंसाए जाने के संबंध में की गई शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया है और उसे इस आधार पर खारिज किया है, कि तत्काल शिकायत क्यों नहीं की और पुलिस अधीक्षक ने क्या कार्यवाही की, जबकि अपीलार्थी को दिनांक 08/03/2010 को गिरफ्तार किया गया था और उसके पिता भारतसिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड को आवेदन दिनांक 10/03/2010 को दिया गया था, जो प्र0डी0-01 है और जिसकी रशीद प्र0डी0-02 है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था और पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही क्यों नहीं की उसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की होती है, जिन सब तथ्यों को अनदेखा करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय घोषित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय

अपास्त किया जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है यदि हां तो प्रभाव ?”

2- “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—:- निष्कर्ष के आधार —:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 व 02 का निराकरण

7. उक्त दोनों विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।

8. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में अपील ज्ञापन में लिए गए आधारों और उठाए गए बिन्दुओं के अनुरूप तर्क करते हुए, मूलतः इस तथ्य पर बल दिया है, कि घटना के स्वतंत्र व पंचसाक्षी अ0सा0-01 व अ0सा0-02 हैं, जिन्हें थाना प्रभारी अपने साथ बस स्टेण्ड से मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए ले जाना बताता है, उन दोनों ही साक्षियों ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है और पूर्णतः पक्ष विरोधी रहे हैं। शेष साक्षी पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके कथनों में गंभीर प्रकृति के विरोधाभाष उत्पन्न हुए हैं और साक्ष्य के दौरान जब्त बताए गए हथियार को पेश नहीं किया गया है, ना ही रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी साक्ष्य में पेश किया है और आरोपी को घर से उठा ले जाकर मामला पंजीबद्ध किया है, क्योंकि पुलिस आरोपी के दूसरे भाई कृष्णा को तलाशने आई थी, और कृष्णा के ना मिलने पर आरोपी को ले जाकर दो दिन थाने में बंद रखा, उसका पिता जो कि विकलांग है, उसने भी पुलिस से काफी निवेदन किया किंतु, टी0आई0 जुमनानी ने विरोधियों से मिलकर झूठा मामला बना दिया, आरोपी/अपीलार्थी का बताई घटना के पूर्व का या पश्चात का कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं है और वह अपने पिता के साथ रहता है तथा खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आरोपी/अपीलार्थी के पिता द्वारा झूठा मामला बनाए जाने के संबंध में दो दिन थाना प्रभारी से निवेदन करने के बाद सुनवाई ना होने पर पुलिस अधीक्षक भिण्ड को गलत फंसाए जाने के संबंध में लिखित शिकायत भी की गई थी, जबकि जो घटना का आधार है वह प्रमाणित नहीं है, इसलिए आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं था, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर आई अभियोजन की साक्ष्य का गलत रीति से मूल्यांकन करते हुए, विरोधाभाषी साक्ष्य को विश्वसनीय

मानकर दोषसिद्धि करते हुए दण्डित किया है, जो कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के प्रतिकूल है और बचाव साक्षी को अनदेखा किया गया है, जबकि बचाव साक्ष्य तथ्यों पर आधारित थी, इसलिए दांडिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय मुताबिक की गई दोषसिद्धि और दी गई दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुए दोषमुक्त किया जाए तथा जमा अर्थदण्ड वापिस दिलाया जाए।

9. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए अपने तर्कों में यह बताया है, कि स्वतंत्र साक्षी भय, प्रलोभन या अन्य कारणों से पक्ष विरोधी हो जाते हैं पुलिस की आरोपी/अपीलार्थी से कोई रंजिश या बुराई नहीं थी, जिससे झूठा फंसाया जाता तथा पुलिस अपने पदीय कर्तव्य के निर्वाहन के दौरान अपराधों के निवारण करने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करती है, जिसके अनुक्रम में ही आरोपी/अपीलार्थी को अवैध हथियार रखे हुए प्राप्त सूचना की जांच करने पर पकड़ा गया था। पुलिस साक्षी द्वारा घटना का समर्थन किया गया है, इसलिए स्वतंत्र साक्षियों के मिलकर पक्ष विरोधी हो जाने का कोई लाभ अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य की उचित रूप से विवेचना करते हुए दोषसिद्धि का निष्कर्ष दिया है और दण्डित किया गया है। इसलिए प्रस्तुत की गई दांडिक अपील में कोई बल नहीं है, और उसे निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाए, तथा आरोपी/अपीलार्थी को सजा भुगताई जाए।
10. दांडिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए विश्लेषण करना चाहिए जैसा कि न्याय दृष्टांत **एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 भाग-1 म0प्र0 विधि भास्कर (एस0सी0)** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये हस्तगत दांडिक अपील के विचारण के दौरान अभिलेख पर आई अभियोजन साक्ष्य का सम्यक रूप से मूल्यांकन व विश्लेषण करना होगा और यह निष्कर्षित करना होगा, कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि विधि और तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है अथवा नहीं ?
11. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया, आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया गया, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में पंचसाक्षी अकबर खां (अ0सा0-01) और विस्सू तोमर (अ0सा0-04) के पक्ष विरोधी होकर घटना का समर्थन ना करने को अपने निर्णय में अभिलिखित करते हुए मुखबिर की प्राप्त सूचना की तस्दीख के लिए टी0आई0 जे0आर0 जुमनानी की कार्यवाही का समर्थन किया है, जिसमें आरक्षक सतीश शर्मा शासकीय वाहन चालक के रूप में साथ था और आरक्षक शिवनारायण (अ0सा0-02) हमराह पुलिस साक्षी की हैसियत का है, जिनकी अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय मानने के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में उल्लेखित न्याय दृष्टांतों का सहारा लेते हुए, दोषसिद्धि अभिलिखित करते हुए अवैध आग्नेय शस्त्र बगैर वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाये जाने पर धारा-25-ख-क आयुध अधिनियम 1959 के तहत दण्डित किया है। इसलिए

अभियोजन की साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर यह देखना होगा कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस व शासकीय साक्षियों के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय मानने में तथ्यात्मक या विधि संबंधी कोई भूल या त्रुटि की है अथवा नहीं।

12. सर्वप्रथम कथानक को देखा जाए तो तत्कालीन थाना प्रभारी मौ टी0आई0 जे0आर0 जुमनानी इलाका गश्त में स्कूलों की चैकिंग के लिए गया था, तब उसे बस स्टेण्ड मौ पर दोपहर पश्चात करीब 04:30 बजे मुखबिर की इस आशय की सूचना मिली थी, कि एक लडका बेहट रोड पर धर्मकांटे के पास कोई वारदात करने की नियत से अवैध शस्त्र लिए बैठा है, उसने अकबर खां और विस्सू तोमर जो उसी बस स्टेण्ड पर मौजूद थे, उन्हें सूचना से अवगत कराते हुए, सूचना की तस्दीख के लिए अपने साथ लिया तथा थाना प्रभारी के साथ आरक्षक शिवनारायण एवं चालक सतीश भी थे, मौके की जो कार्यवाही करना बताई गई है, उसमें आरोपी/अपीलार्थी को बेहट रोड मौ धर्मकांटे के पास पकड़े जाना तलाशी लेते हुए जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही अकबर खां और विस्सू तोमर को पंचसाक्षी बनाते हुए करना बताई गई है, ऐसे में अकबर खां (अ0सा0-01) और विस्सू तोमर (अ0सा0-04) प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं, किंतु अकबर खां निवासी मौ जो इलेक्ट्रीशियन है और विस्सू तोमर जो कि ग्राम तेहरा थाना गोहद चौराहे का रहने वाला है, उन दोनों का मौ बस स्टेण्ड पर मिलना बताया है, इस तथ्य से उक्त दोनों ही साक्षी इन्कार करते हैं, तथा दोनों की साक्षी ने अपने-अपने अभिसाक्ष्य में इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है, कि वे आरोपी/अपीलार्थी को जानते हैं और पुलिस द्वारा उनके सामने आरोपी/अपीलार्थी महेशसिंह गुर्जर को धर्मकांटे के पास बेहट रोड पर पुलिस ने पकड़ा था, जो 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के पेंट की कमर में बाईं ओर रखे पाया गया था, दोनों साक्षियों ने आरोपी/अपीलार्थी को पकड़े जाने और टी0आई0 साहब द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम बताया जाना, जब्त कट्टा कारतूस का कोई लाइसेंस उस पर ना होने के कारण गिरफ्तार किए जाने से इन्कार किया है। विस्सू तोमर ने प्र0पी0-03 का पुलिस को कथन देने से भी इन्कार किया है, दोनों साक्षियों ने जब्तीपत्रक प्र0पी0-01 और गिरफ्तारीपत्रक प्र0पी0-02 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किए हैं, किंतु विस्सू तोमर ने बस स्टेण्ड मौ पर पुलिस द्वारा उसे डरा धमका कर हस्ताक्षर करा लेना कहा है, तथा खां ने यह भी स्वीकार किया है, कि वह रक्षा समिति में काम करता है।

13. इस प्रकार से प्र0पी0-01 का जब्तीपत्र, जो कि संपूर्ण घटना का आधार है एवं प्र0पी0-02 गिरफ्तारीपत्रक का दोनों की स्वतंत्र साक्षी व पंचसाक्षी अभियोजन कथानक मुताबिक क्लैश मात्र भी समर्थन नहीं करते हैं। यह सही है, कि स्वतंत्र साक्षियों के पक्ष विरोधी हो जाने के अनेक अज्ञात कारण हो सकते हैं, किंतु दोनों ही साक्षियों के द्वारा आरोपी की पहचान नहीं की गई है, इसलिए आरोपी से मिलकर या अच्छे संबंधों के कारण उनके पक्ष विरोधी हो जाने की पुष्टि नहीं होती है, किंतु किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है, ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों के पक्ष विरोधी हो कर अभियोजन का समर्थन ना करने के कारण अभियोजन के शेष साक्षियों को ना तो अग्राह्य किया जा सकता है, ना

ही इस आधार पर अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है, लेकिन यह अवश्य है, कि जब मौके की कार्यवाही को दोनों ही साक्षी अभियोजन का कतई समर्थन ना करते हों, ऐसी स्थिति में पुलिस साक्षियों के अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानी पूर्वक विश्लेषण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता अपेक्षित हो जाती है, इस दृष्टि से अन्य अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य को मूल्यांकित करना होगा और यह देखना होगा कि क्या पुलिस साक्षी अ0सा0-02, अ0सा0-03 एवं अ0सा0-05 जो कि मौके की कार्यवाही से संबंधित है जिनकी आपस में पदीय हैसियत से हितबद्धता है, उनके अभिसाक्ष्य विश्वसनीय है, या नहीं और क्या उनके अभिसाक्ष्य से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है, जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में निकर्षित किया है।

14. टी0आई0 जे0आर0 जुमनानी (अ0सा0-05) ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08/03/10 को थाना प्रभारी मौ की हैसियत से पदस्थ रहना बताते हुए, यह कहा है, कि उक्त दिनांक को वह जब अन्य विवेचना से वापिस आते समय बस स्टेण्ड मौ पर पहुंचा तब दोपहर पश्चात 04:30 बजे का समय था तब मुखबिर द्वारा उसे इस आशय की सूचना दी गई कि एक लडका बेहट रोड पर धर्मकांटे के पास अवैध शस्त्र लिए किसी वारदात को करने की नियत से बैठा है तो उसने बस स्टेण्ड से अकबर खां और विस्सू तोमर को साथ लेकर धर्मकांटे पर जाकर सूचना की तस्दीख की तो एक लडका उन्हें देखकर भागा, जिस आरक्षक शिवनारायण और ड्रायवर सतीश के साथ उक्त दोनों गवाहों ने पीछा करके पकड़ा था, जिसकी तलाशी लिए जाने पर कमर के बाईं तरफ पेंट के नीचे 315 बोर का कट्टा जिसमें कारतूस लगा था मिला था, एक कारतूस वह पेंट की दाहिनी जेब में रखे था, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी/अपीलार्थी ने अपना नाम पता बताया था और कट्टा कारतूस रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। जिसके कारण कट्टे कारतूस की जब्ती दोनों साक्षियों के समक्ष की गई थी और प्र0पी0-01 का जब्तीपत्रक बनाया था तथा मौके पर ही कट्टा कारतूस को शील्ड किया था और गवाहों की हस्ताक्षरित स्लिम चस्पा की थी तथा प्र0पी0-02 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार कर वापिस थाने आरोपी को लाकर उसके विरुद्ध धारा-25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 18/10 कायम करते हुए प्र0पी0-04 की एफ0आई0आर0 दर्ज की थी, अग्रिम विवेचना प्रधान आरक्षक लल्लाबाबू दुबे को सौंपी थी, जब्तशुदा शील्ड हथियार मालखाने में जमा किया था, इसी आशय का मुख्य परीक्षण में समर्थन हमराह पुलिस आरक्षक शिवनारायण सिंह (अ0सा0-02) एवं आरक्षक चालक सतीश शर्मा (अ0सा0-03) द्वारा किया गया है।

15. टी0आई0 जे0आर0 जुमनानी (अ0सा0-05) ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना वाले दिन स्कूलों की चैकिंग के लिए जाना बताते हुए बेहट कस्बे में कन्या स्कूल और बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को चैक करना बताया है। बेहट रोड पर गांव पर गांव के किसी भी परीक्षा केन्द्र को चैक नहीं किया था। कस्बा मौ के स्कूल ही चैक किए थे, गस्त के लिए रवानगी डाल कर गया था, जिसका रोजनामचा सान्हा पेश करना तो कहा है, किंतु उसे साक्ष्य में प्रदर्श अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। ग्राम अचलपुरा लहार तहसील के

अंदर आना बताया है और यह कहा है, कि अपराध क्रमांक 216/09 के आरोपी गोविंद की तलाश में वहां गया था। पहले उसने बेहट रोड पर स्वतः जाना पैरा-03 में कहा है, फिर मुखबिर की सूचना पर जाना बताया है, पंचसाक्षियों को बस स्टेण्ड से लेना कहा है और पैरा-01 मुताबिक मुखबिर की सूचना से पंचसाक्षियों को अवगत कराना कहा है, किंतु दोनों पंचसाक्षी अ0सा0-01 और अ0सा0-04 ने विवेचक की उक्त कहानी का कोई समर्थन अपने अभिसाक्ष्य में नहीं किया है। अचलपुरा दिन में 12:30 से 01:00 बजे की दरम्यान जाना कहा है। पैरा-04 में उसने यह भी कहा है, कि उसे धर्मकांटे पर कोई व्यक्ति नहीं मिला था, क्योंकि धर्मकांटा संचालित नहीं था।

16. अ0सा0-05 ने आरोपी का मौके पर पकड़ा जाना और मौके की कार्यवाही के संबंध में पैरा-04 में ही यह कहा है, कि सबसे पहले उसने आरोपी को पकड़ा था, फिर आरक्षक शिवनारायण पहुंचा था, उसके बाद आरक्षक चालक सतीश शर्मा आ गया था, उन सभी ने मिलकर पकड़ा था। पंचसाक्षियों ने पकड़ने में सहायता नहीं की थी और जैसे ही उन्होंने आरोपी को पकड़ा उसके पांच मिनट बाद विस्सू तोमर और अकबर खां आए थे, जिनके सामने तलाशी ली गई थी, जबकि उक्त साक्षी ही अपने पैरा-01 के मुख्य परीक्षण में एवं पैरा-03 के प्रतिपरीक्षण में उक्त दोनों साक्षियों को बस स्टेण्ड से अपने साथ लेना कहता है और सरकारी वाहन जीप से जाना बताता है, ऐसे में जब दोनों पंचसाक्षी साथ में ही थे तो आरोपी को पकड़ने के पांच मिनट बाद कैसे पहुंचे यह अपने-आप में संदेह उत्पन्न करता है। उक्त विवेचक के मुताबिक दोनों आरक्षकों सहित उसने मौके पर आरोपी को पकड़ा, जबकि इस बिन्दु पर साथ गए आरक्षक और आरक्षक चालक के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो हमराह आरक्षक शिवनारायण (अ0सा0-02) के मुताबिक आरोपी को पकड़ने वालों में वह और आरक्षक चालक सतीश थे, उन दोनों ने ही पकड़ा था और वह भी दोनों पंचसाक्षी अकबर खां और विस्सू तोमर को बस स्टेण्ड से साथ लेना कहता है। इसके विपरीत आरक्षक चालक सतीश शर्मा (अ0सा0-03) के पैरा-02 मुताबिक टी0आई0 साहब अर्थात् जे0आर0 जुमनानी और आरक्षक शिवनारायण ने आरोपी को दौड़कर पकड़ा और वह बाद में पहुंचा, उसने अ0सा0-02 के इस अभिसाक्ष्य का खण्डन किया है, कि पहले उसने और शिवनारायण ने आरोपी को पकड़ा ही और टी0आई0 साहब बाद में आए हों। उसने जिस गाड़ी से गए थे उस गाड़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर आरक्षक शिवनारायण और टी0आई0 साहब के द्वारा पकड़ना बताया है।

17. इस तरह से अ0सा0-02, अ0सा0-03 और अ0सा0-05 के अभिसाक्ष्य में आरोपी/अपीलार्थी को पकड़ने के बिन्दु पर विरोधाभाष है, मुखबिर की सूचना पर रवानगी का रोजनामचा साक्ष्य में पेश नहीं किया है। ऐसे में उक्त पुलिस साक्षियों के अभिसाक्ष्य में आए विरोधाभाष घटना को संदिग्ध बनाते हैं। जहां तक मौके की कार्यवाही का प्रश्न है, टी0आई0 जे0आर0 जुमनानी (अ0सा0-05) ने अपने अभिसाक्ष्य में अकबर खां और विस्सू तोमर के सामने आरोपी की तलाशी लेना कहा है, जिसका अकबर खां और विस्सू तोमर समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमराह पुलिस आरक्षकों की साक्ष्य को इस बिन्दु पर देखा जाए तो आरक्षक शिवनारायण (अ0सा0-02) ने उसके और आरक्षक सतीश के सामने टी0आई0 साहब द्वारा आरोपी की तलाशी लेना कहा

है, उन्होंने तलाशी नहीं ली थी और मौके पर ही लिखापढी करना बताया है, किंतु जब्ती और गिरफ्तारी पर उनके कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। आरक्षक चालक सतीश शर्मा (अ0सा0-03) भी जब्ती, गिरफ्तारीपत्रकों का साक्षी नहीं है। मौके की कार्यवाही के पश्चात थाने आकर अ0सा0-05 ने अवैध शस्त्र रखे पाए जाने से अपराध की कायमी करना बताया है, किंतु रोजनामचा सान्हा वापिसी को भी साक्ष्य में पेश नहीं किया है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है, कि मौके पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि पुलिस आरोपी के भाई की तलाश में आई थी, जो नहीं मिला था, इसलिए आरोपी को घर से लाकर झूठा फंसा दिया, इस संबंध में आरोपी अपीलार्थी के पिता भारतसिंह का बचाव साक्षी क्रमांक 01 के रूप में अभिसाक्ष्य भी कराया गया है, जिसमें अपराध दर्ज कर लेने के बाद दो दिन इंतजार कर लेने के पश्चात पुलिस द्वारा सुनवाई ना करने पर पुलिस अधीक्षक भिण्ड को इस संबंध में लिखित शिकायत करना भी बताया है, जिसकी प्रति प्र0डी0-01 के रूप में और यू0पी0सी0 डाक से भेजने की रशीद प्र0डी0-02 के रूप में पेश करना बताया है। हालांकि उसके संबंध में विवेचक ने सुझावों से इन्कार किया है। जब्त शस्त्र मौके पर शील्ड करना भी बताया है, गवाहों के स्लिप पर हस्ताक्षर करना भी अ0सा0-05 ने कहा है, किंतु उसका पंचसाक्षियों से समर्थन नहीं होने के अलावा जब्तशुदा कट्टा कारतूस को पेश भी नहीं किया गया है, ऐसे में जब्तीपत्र का प्रमाणीकरण ना होना पाया जाता है, जो कि आवश्यक है, क्योंकि जब्ती पंचनामा तात्विक साक्ष्य अवश्य ना हो, किंतु उसके तथ्यों को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2006 भाग-02 ए0एल0जे0 (एम0पी0) पैज-235** अवलोकनीय है।

18. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में कण्डिका 20 लगायत 23 में जिन न्याय दृष्टांतों का सहारा लिया है, वे सर्वमान्य सिद्धांत अवैध आग्नेय शस्त्र से संबंधित अपराध बाबत हैं, किंतु जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि पंचसाक्षी जब्ती का समर्थन ना करते हों, केवल पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य हो, तब साक्ष्य की सावधानी से छानबीन करना आवश्यक होता है और यदि पुलिस साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय पाई जाए तो, उस पर विश्वास किया जा सकता है, किंतु मौके की कार्यवाही और जब्ती गिरफ्तारी की बिन्दु पर पुलिस साक्षियों के कथनों में ही विराधाभाष उत्पन्न है, जिनको विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से मूल्यांकित ना करते हुए, न्याय दृष्टांतों के आधार पर जब्ती, गिरफ्तारी को प्रमाणित मान लिया है, जबकि ना तो जब्त शस्त्र साक्ष्य में पेश हुआ और ना ही कार्यवाही के संबंध में रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी जो कि पुलिस की कार्य करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, उसे पेश किया गया, जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि का निष्कर्ष जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही के संदिग्ध होने से पुष्टि योग्य नहीं रह जाती है।
19. बचाव साक्षी आरोपी/अपीलार्थी का पिता अवश्य है, किंतु बचाव साक्ष्य के संबंध में यह सुस्थापित विधि है, कि बचाव साक्ष्य को भी अभियोजन साक्ष्य की भांति ही मूल्यांकन करते समय अवलोकन में लिया जाना चाहिए, उसे केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, कि बचाव पक्ष की ओर से उसे प्रस्तुत किया गया है और दाण्डिक मामलों में प्रमाण भार बचाव पक्ष पर वापिस नहीं आता है, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **केशरदान**

विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2005(3) एम0पी0एल0जे0 पैज-550 में दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बचाव साक्ष्य के मामले में उसकी साक्ष्य को निर्णय के पैरा-13 व 14 में उल्लेखित करते हुए, निर्णय के पैरा-17 में बचाव साक्ष्य को इस आधार पर अग्राह्य कर दिया है, कि घटना के दो दिन बाद आरोपी के पिता द्वारा शिकायत की गई, दो दिन तक इंतजार करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जबकि बचाव साक्षी ने अभियोजन की ओर से दिए गए सुझावों को पैरा-03 स्वीकार करते हुए, उसके समर्थन में ही आरोपी आरोपी को पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाया जाना कहा है, यहां तक कहा है, कि उसने पुलिस को रोका भी था कि बगैर अपराध के पकड़कर क्यों ले जा रहे हो, तथा उसने दो दिन बाद शिकायत करने का स्पष्टीकरण भी दिया है, कि थाने पर उसकी कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए उसने आवेदन एस0पी0 को दिया था, थाने में आवेदन नहीं दिया था, हालांकि विरोधियों के कहने पर झूठा मामला पंजीबद्ध करने का भी आधार लिया है और विरोधियों का नाम स्पष्ट नहीं किया है, किंतु इससे प्रमाणभार बचाव पक्ष पर नहीं आएगा। ऐसे में बचाव साक्षी की साक्ष्य को पूरी तरह से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्राह्य कर विधिक त्रुटि की गई है, इसलिए आलोच्य निर्णय की कण्डिका-17 के निष्कर्ष को विधिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जब्ती को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करना अभियोजन के उत्तरदायित्व में शामिल होता है, जिसके बाबत अभियोजन की साक्ष्य निर्बल स्वरूप की है, इसलिए प्र0पी0-01 का जब्तीपत्र प्रमाणित नहीं है, घर से ले जाने की बात बचाव पक्ष द्वारा स्वच्छता से कही गई है।

20. आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अन्य कोई अपराध ना होना भी बचाव पक्ष ने बताया है, जिसका खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षी आरक्षक शिवनारायण (अ0सा0-02) और आरक्षक चालक सतीश शर्मा (अ0सा0-03) और टी0आई0 जे0आर0 जुमनानी (अ0सा0-05) का जब्ती, गिरफ्तारीपत्रों के संबंध में दिए गए अभिसाक्ष्य उत्पन्न विरोधाभाषों के चलते विश्वसनीय नहीं पाए जाते हैं।

21. आरक्षक सुरेश दुबे (अ0सा0-07) ने अपने अभिसाक्ष्य दिनांक 31/03/10 को पुलिस लाइन भिण्ड में आरक्षक आर्म्स मुहरर के पद पर रहते हुए थाना मौ के अपराध क्रमांक 18/10 में जब्तशुदा बताए गए एक 315 बोर के देशी कट्टे व जिंदा कारतूसों की जांच करने पर कट्टे का एक्शन चालू हालत में होने से उससे फायर किए जाने योग्य होना और कारतूस जीवित बताते हुए प्र0पी0-07 की जांच रिपोर्ट तैयार करना कहा है, जिसका कोई खण्डन नहीं है, जिससे यह तो प्रमाणित है, कि उक्त साक्षी के पास जो कट्टा कारतूस जांच हेतु भेजे गए, वे आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आते हैं, किंतु उक्त जब्तशुदा बताए गए कट्टा कारतूस आरोपी/अपीलार्थी महेश से ही जब्त हुए यह ऊपर किए गए विश्लेषण मुताबिक संदिग्ध पाया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की हो जाती है।

22. योगेन्द्र सिंह अ0सा0-06 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 03/04/10 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ रहते समय पुलिस अधीक्षक के पत्र के साथ थाना मौ के

अपराध क्रमांक 18/10 की केस डायरी एवं जब्तशुदा हथियार सीलबंद अवस्था में प्रधान आरक्षक लल्ला बाबू दुबे द्वारा पेश किए जाने पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री रघुराज राजेन्द्रन के द्वारा परीक्षण पश्चात अभियोजन चलाने की स्वीकृति आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध प्र0पी0-06 की प्रदान की जाना बताया है, जिसकी साक्ष्य भी अखण्डनीय रही है, जिससे यह तथ्य तो प्रमाणित होता है, कि जो कट्टा कारतूस जब्त बताए गए वे अवैध आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आते थे और निर्विवादित रूप से आरोपी/अपीलार्थी के पास कोई शस्त्र लाइसेंस उक्त हथियार को रखने बाबत जारी नहीं था, किंतु जब्ती के प्रमाणित ना होने से अभियोजन स्वीकृति भी औपचारिक स्वरूप की मात्र रह जाती है।

23. आयुध अधिनियम 1959 की धारा-03 के उल्लंघन को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर होता है, तभी उक्त अधिनियम की धारा-25(1-ख)(क) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाकर दण्डित किया जा सकता है, किंतु विचाराधीन मामले में जब्ती संदिग्ध है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी/अपीलार्थी महेशसिंह गुर्जर के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-03 का कोई उल्लंघन बताई गई घटना में किया गया था। फलतः अभियोजन का मामला उक्त स्थिति में संदिग्ध है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 20/01/15 के द्वारा दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष कतई पुष्टि योग्य नहीं है। परिणाम स्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आरोपी/अपीलार्थी महेश के विरुद्ध की गई दोषसिद्धि और दी गई दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुए उसे धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।
24. आरोपी/अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में जमा किया गया एक हजार रुपये का अर्थदण्ड अपील/निगरानी अवधि पश्चात उसे विधिवत वापिस किया जाये।
25. आरोपी/अपीलार्थी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
26. जब्तशुदा एक कट्टा एवं दो कारतूस जिला दण्डाधिकारी की ओर विधिवत निराकरण के लिए अपील/निगरानी अवधि पश्चात भेजे जावें। अपील/निगरानी होने की दशा में माननीय निगरानी न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जाए।
दिनांक: 26 अक्टूबर 2016
- निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड